लॉकडाउन-4-0 में होंगे कंटेनमेंट, बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर छोड़ी निर्धारण की जिम्मेदारी, जानें किस जोन में कितनी मिलेगी छूट, क्या होंगी पाबंदियां

जिलाधिकारी ने क्वॉरेंटाइन सेंटर के निरीक्षण में क्वॉरेंटाइन हुए लोगों से कहा,अपने कौशल के अनुसार श्रमदान करें, जिला प्रशासन विहित प्रावधानों के तहत देगा मानदेय

लॉकडाउन के दौरान परेशान प्रवासी श्रमिकों को ले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया बड़ा फैसला, मई व जून में पांच किलोग्राम प्रति व्यक्ति की दर से मुफ्त चावल देने का दिया आदेश

लॉकडाउन-चार में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकि इलाके सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की इजाजत, जोन की परिभाषा वही परन्तु अब जोन का निर्धारण राज्य सरकारें करेंगी

युवराज
NEWS TODAY Update
www.newstodayupdate.in
RNI:- BIHHIN05409
न्यूज़ टुडे
आपकी आवाज़
राष्ट्रीय हिन्दी पाक्षिक

वर्ष : 06 अंक : 08+18 तिथि : 18 मई 2020 मूल्य : निःशुल्क प्रधान संपादक : डा. राजेश अस्थाना - 9471005272, 8210595830

email: newstodaymth@gmail.com website : newstodayupdate.in

न्यूज़ टुडे लॉक डाउन स्पेशल रोजाना अंक

लॉकडाउन-4-0 में होंगे कंटेनमेंट, बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर छोड़ी निर्धारण की जिम्मेदारी, जानें किस जोन में कितनी मिलेगी छूट, क्या होंगी पाबंदियां

न्यूज टुडे एक्सक्लूसिव :

डा. राजेश अस्थाना,
एडिटर इन चीफ,

सरकार ने लॉकडाउन को 14 और दिनों के लिए बढ़ा दिया है। लॉकडाउन का यह चौथा चरण सोमवार 18 मई से शुरू होगा और 31 मई को खत्म होगा। जैसा कि राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने संकेत दिया था... केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, लॉकडाउन–4.0 पिछले सभी चरणों से बिल्कुल अलग होने जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस लॉकडाउन में इलाकों को कुल पांच जोनों में बांटा जाएगा।

पांच जोनों में बटेंगे इलाके

केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, इस बार पांच जोनों में इलाकों को बांटा जाएगा। इससे पहले सभी लॉकडाउन में तीन जोन में ही इलाके बांटे जाते थे और सभी का निर्धारण केंद्र सरकार के मानकों के आधार पर किया जाता था। इस बार इलाकों को कंटेनमेंट, बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटा जाएगा। गाइडलाइन के मुताबिक, कंटेनमेंट और बफर जोन... रेड और ऑरेंज जोन के भीतर होंगे जिनका निर्धारण जिला प्रशासन करेगा। ऐसा भी कहा जा सकता है कि मुख्य रूप से जोन तीन ही होंगे बाकी के दो जोन (कंटेनमेंट और बफर) रेड और ऑरेंज जोन के भीतर निर्धारित किए जाएंगे।

राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर छोड़ी निर्धारण की जिम्मेदारी

केंद्र सरकार ने इस बार जोनों के निर्धारण की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर छोड़ी है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मानकों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें इन जोनों का निर्धारण करेंगी।

कंटेनमेंट जोन में इसेंसियल सर्विस को इजाजत

कंटेनमेंट जोनों में केवल जरूरी गतिविधियों को ही इजाजत दी जाएगी। इन जानों में सामान्य लोगों की आवाजाही की इजाजत नहीं होगी। केवल मेडिकल इमरजेंसी, जरूरी सेवाओं के लिए काम करने वाले लोगों को ही आने जाने की इजाजत होगी। इन जोनों में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मानक लागू होंगे। हालांकि इन इलाकों का निर्धारण जिला प्रशासन करेगा।

संक्रमितों की पहचान के लिए उठाए जाएंगे ये कदम

कंटेनमेंट जोनों में संक्रमितों की पहचान के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। इन इलाकों में संक्रमित लोगों की पहचान के लिए इंटेंसिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ घर घर जाकर लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। यही नहीं दूसरे चिकित्सकीय उपायों को भी आजमाया जाएगा।

राज्य सरकारों को दिए पाबंदियों के अधिकार

केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन के नियम नंबर आठ में कहा गया है कि वर्गीकृत किए गए जोनों में किन दूसरी गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जाए राज्य सरकारें इस बारे में आकलन करके उक्त गतिविधियों पर रोक लगा सकती हैं। यानी केंद्र ने लॉकडाउन–4 में राज्य सरकारों को गतिविधियों की बाबात बीते तीन लॉकडाउन से ज्यादा अधिकार प्रदान किए हैं।

जारी रहेगा रात का कर्फ्यू

केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि चाहे वह कोई भी जोन हो... शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सामान्य लोग इलाकों में किसी तरह की आवाजाही नहीं कर सकेंगे। हालांकि जरूरी सेवाओं और उनसे जुड़े लोगों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं किया गया है। यह भी कहा गया है कि आवाजाही की बाबत स्थानीय प्रशासन जरूरी आदेश जारी कर सकता है।

घरों में रहेंगे बच्चे और बुजुर्ग

केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि चाहे वह कोई भी जोन हो 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, बीमारों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहना होगा। इन लोगों को इलाकों से बाहर केवल इलाज या बेहद जरूरी काम आने पर ही घर से निकलने की इजाजत होगी।

स्वास्थ्य सचिव ने बताया जोन निर्धारित करने का तरीका

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन चिह्नित करने के तरीकों से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने बताया कि कोविड–19 से लड़ने के लिए राज्यों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य सचिव ने स्थिति की गंभीरता को समझने के मानक भी राज्यों को बताए।

गंभीर श्रेणी में मानें जाएंगे ये इलाके

किसी क्षेत्र में 200 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले या प्रति लाख की आबादी पर 15 से ज्यादा सक्रिय मामले होने को गंभीर की श्रेणी में माना गया है। बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या या पॉजिटिव मामलों का कंफर्मेशन रेट छह प्रतिशत से ज्यादा होने को भी गंभीर माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बार जोन का निर्धारण हो जाने के बाद वहां कंटेनमेंट एक्शन प्लान का क्रियान्वयन सबसे अहम कदम है।

एक्शन प्लान को तब माना जाएगा सफल

स्वास्थ्य सचिव ने कोविड–19 से लड़ाई की दिशा में रेड व ऑरेंज जोन के भीतर बफर जोन को चिह्नित करने को भी अहम कदम बताया। सभी कंटेनमेंट जोन के आसपास के कुछ क्षेत्र को बफर जोन के रूप में चिह्नित कर वहां भी अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कंटेनमेंट एक्शन प्लान को तभी सफल माना जा सकेगा जब कंटेनमेंट जोन में 28 दिन तक कोई नया मामला नहीं आए।

लॉकडाउन के दौरान परेशान प्रवासी श्रमिकों को ले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया बड़ा फैसला, मई व जून में पांच किलोग्राम प्रति व्यक्ति की दर से मुफ्त चावल देने का दिया आदेश

आशीष राज,
स्थानीय संपादक,

लॉकडाउन के दौरान परेशान प्रवासी श्रमिकों को ले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने सभी प्रवासी श्रमिकों को मई व जून में पांच किलोग्राम प्रति व्यक्ति की दर से मुफ्त चावल देने का आदेश दिया है। पंचायत स्तर पर एक या दो जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों को चिह्नित कराकर उनके माध्यम से चावल दिया जाएगा। प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न दो बजे के बीच अनाज का वितरण किया जाएगा।

सरकार ने जारी किया दिशा–निर्देश

इस संबंध में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को दिशा–निर्देश जारी कर दिया है। पंकज कुमार पाल ने सभी जिलों को प्रवासी श्रमिकों की पहचान तत्काल सूचीबद्ध कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से उनके परिवारों के सभी सदस्यों को अनाज शीघ्र मुहैया कराया जा सके। अनाज वितरण के रिकार्ड के लिए पॉस मशीन के इस्तेमाल के साथ–साथ पंजी भी तैयार करायी जाएगी।

तैयार हो रही प्रवासी श्रमिकों की सूची

सचिव ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों की पहचान और उनके ब्योरा समेत सूची जिलावार और पंचायतवार तैयार कराया जा रहा है। सभी जिलों को 18 मई तक पोर्टल पर सूची देने को कहा गया है। पंचायत स्तर पर प्रवासी मजदूरों का डाटा पो. र्टल पर अपलोड कराने का निर्देश दिया गया है।

सूची में इन जानकारियों को देना जरूरी

सूची में श्रमिक का नाम, पिता या पति का नाम, प्रवास से वापस आए सभी सदस्यों के नाम, आधार नंबर एवं मोबाइल नंबर की इंट्री अनिवार्य है। सभी सदस्यों के आधार नंबर की इंट्री भी आवश्यक है। प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य के मोबाइल नंबर की इंट्री भी अनिवार्य है, ताकि खाद्यान्न वितरण से संबंधित सूचना परिवार को उनके द्वारा दर्ज कराए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दी जा सके।

जिलाधिकारी ने क्वॉरेंटाइन सेंटर के निरीक्षण में क्वॉरेंटाइन हुए लोगों से कहा,अपने कौशल के अनुसार श्रमदान करें, जिला प्रशासन विहित प्रावधानों के तहत देगा मानदेय

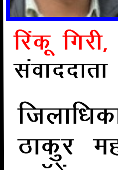

रिंकू गिरी,
संवाददाता

जिलाधिकारी कपिल अशोक शीर्षत ने सदर प्रखंड के कर्पूरी ठाकुर महाविद्यालय एवं मॉडर्न पब्लिक स्कूल में अवस्थित क्वॉरेंटाइन सेंटर (संग रोधी केंद्रो) का निरीक्षण किया। निरी क्षण क्रम में जिलाधिकारी ने उक्त दोनों संग रोधी केंद्रो में निश्चित अवधि तक आवासित व्यक्तियों के भोजन आवासन हेतु की गई तैयारियों का जायजा लिया।
उक्त अवसर पर जिलाधिकारी श्री शीर्षत ने आवासित व्यक्तियों से बातचीत की एवम् उन्हें आश्वासन दिया गया कि जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उनके सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। कर्पूरी ठाकुर महाविद्यालय में अवस्थित क्वॉरेंटाइन सेंटर (संग रोधी केन्द्र) में निवासरत व्यक्तियों को जिला प्रशासन द्वारा संचालित परियोजना पाठशाला अभियान के संबंध में जानकारी दी गई तथा उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपने कौशल के अनुसार श्रमदान करें। जिला प्रशासन विहित प्रावध ाानों के तहत उन्हें मानदेय देगा।
उक्त कार्यक्रम से पूर्व जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल निरी क्षण क्रम में पिकु वार्ड में उपलब्ध चिकित्सीय सुविधा एवं निबंधन काउंटर का जायजा लिया।उक्त अवसर पर स्वास्थ्य विभाग,आपदा प्रबंधन विभाग के सौजन्य से विशेष सुविधाओं से लैस तीन आपातकालीन चिकित्सीय सहायता वाहन को रवाना किया गया। आज रवाना किए गए तीन वाहनों में से एक रक्सौल एकीकृत चेक पोस्ट (इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट) पर, एक वाहन डुमरिया घाट चेक पोस्ट पर एवम् एक वाहन शहर में भ्रमणशील रहेंगे। उक्त तीन वाहनों द्वारा निर्धारित स्थलों पर प्रवासी श्रमिको को आवश्यकतानुसार आवश्यक परिस्थितिजन्य चिकित्सीय सुविधा के अतिरिक्त पानी, ओआरएस आदि उपलब्ध कराया जाए।

लॉकडाउन-चार में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकि इलाके सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की इजाजत, जोन की परिभाषा वही परन्तु अब जोन का निर्धारण राज्य सरकारें करेंगी

न्यूज टुडे एक्सक्लूसिव :

ई. युवराज,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

कोरोना को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन–चार में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकि इलाके सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की इजाजत दे दी गई है। लेकिन मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, होटल, मेट्रो, रेल और हवाई सेवाओं पर प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक, रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन के अलावे दो जोन और बढ़ेंगे जो बफर और कंटेन्मेंट जोन होंगे, जोन की परिभाषा तो वही रहेगी परन्तु अब जोन का निर्धारण राज्य सरकारें तय करेंगी. लेकिन इसके तहत आने वाले इलाके को तय करने की जिम्मेदारी राज्यों पर सौंप दी गई है।

देश में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सारी गतिविधियों की छूट होगी

लॉकडाउन–चार के लिए जारी गाइडलाइंस में गृहमंत्रालय में पूरी तरह साफ कर दिया है कि विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सारी गतिविधियों की पूरी तरह से छूट होगी। लेकिन कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी भी गतिविधि की इजाजत नहीं होगी। वैसे कंटेनमेंट जोन के बाहर भी राज्य सरकारें चाहें तो जमीनी परिस्थितियों के आकलन के आधार पर कुछ अन्य गतिविधियों पर रोक लगा सकती हैं।

शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू

गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन–चार के दौरान शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा और इस बीच जरूरी सेवाओं के अलावा किसी को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। मेट्रो, हवाई जहाज और रेल पहले की तरह नहीं चलेंगी, लेकिन प्रवासी मजदूरों और अन्य फंसे लोगों को एक–से–दूसरी जगह पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेन और हवाई सेवाएं जारी रहेंगी। वहीं इस दौरान स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल, मॉल आदि बंद रहेंगे।

क्या–क्या रहेगा प्रतिबंधित

धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद से जुड़े जमावड़े पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगे। पूरे देश में 65 से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 10 साल के कम उम्र के बच्चों के साथ ही गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों के घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। वे सिर्फ जरूरी काम से या फिर इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं। गुटका, पान–मसाला, सिगरेट और शराब के सेवन प्रतिबंधित रहेगा। शादियों में 50 से अधिक लोगों के तो अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर लगी पाबंदी जारी रहेगी। राज्यों को उसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है।

पूरे देश में ज्यादातर गतिविधियों की इजाजत दी गई

एक तरह से लॉकडाउन–चार में सरकार ने पूरे देश में सारी गतिविधियों की इजाजत दे दी है। इसमें न तो उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है और न ही किसी तरह की सेवाओं को प्रतिबंधित किया गया है। यानी अब ई–कामर्स से लेकर ओला–उबेर जैसे टैक्सी सेवाएं शुरू हो सकती हैं। दोपहिया और कार में बैठने के सख्त नियम भी हटा लिए गए हैं। पहले दोपहिया पर सिर्फ एक और कार में ड्राइवर के अलावा दो व्यक्ति के बैठने की अनुमति थी। बाजार में भी दुकानों का कोई वर्गीकरण नहीं किया है। यानी यहां सैलून, ब्यूटी पार्लर समेत सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी। लेकिन दुकान पर छह फुट दूरी रखना होगा और एक समय में पांच से अधिक लोगों की अनुमति नहीं होगी।

स्टाफ की सीमा भी समाप्त कर दी गई

राज्य या स्थानीय प्रशासन चाहे तो इनमें कुछ दुकानों को बंद करने का फैसला कर सकता है। पिछली बार की तरह इस बार सभी आफिस में 33 फीसदी स्टाफ की सीमा भी समाप्त कर दी गई है। लेकिन आफिस में जाने के पहले सैनेटाइजर और शरीर के तापमान की जांच अनिवार्य कर कर दिया है। आफिस से भीतर भी दो गज की दूरी बनाए रखने को कहा गया। इसके लिए वर्क फ्राम होम को प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। वैसे तो आरोग्य सेतु के उपयोग को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। लेकिन गाइडलाइंस में इसे कोरोना के संक्रमित व्यक्ति की तत्काल पहचान में कारगर बताते हुए सभी आफिस व काम के स्थान पर अधिक–से–अधिक इसके इस्तेमाल की सलाह दी गई है।

खेल गतिविधियों को दी गई अनुमति

सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन में पहली बार खेल गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गई है। इसके लिए स्टेडियम और स्पोर्ट्स कंप्लेक्स खोलने की इजाजत दी गई है। लेकिन दर्शकों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। गृहमंत्रालय ने साफ कर दिया कि एक–से–दूसरे राज्यों में सामान और ट्रकों की आवाजाही पर पहले की तरह कोई प्रतिबंध नहीं होगा। साथ ही सड़क मार्ग से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सामान की आवाजाही में भी राज्य सरकारें रूकावट नहीं डाल सकेंगी। इस बार इसका विशेष उल्लेख किया गया है। ध्यान देने की बात है कि बांग्लादेश की सीमा पर ट्रकों की आवाजाही रोकने को लेकर पश्चिम बंगाल और केंद्र के बीच ठन गई थी।

युवक को दूसरे की बीबी के साथ टिकटोक वीडियो बनाना पड़ा भारी, पति ने कर दी पिटाई, डॉक्टर के अनुसार 72 घंटे बाद ही कुछ कहना मुमकिन

जिले के एक युवक को गांव के ही एक सैनिक की साथ वीडियो बनान काफी महंगा पड़ा, इससे नाराज केवल वो जीवन व मौत से जूझ रहा है बल्कि घटना मोतिहारी के रामगढ़वा थाना क्षेत्र के एक गांव का एक टिक टॉक वीडियो इस कदर वाइरल हुआ गांव के एक मोबाइल के जानकार युवक को उसके घ
पत्नी एवं दूसरे गांव के एक लड़के के पति ने इस कदर पिटाई की, कि न उसके परिजनों की भी पिटाई हुई है। की है जहां एक सैनिक की पत्नी कि उसके गर्म मिजाज सैनिक पति ने र मे घुसकर उसकी जबरदस्त पिटाई कर दी जिससे वो मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया। इतना ही नही उसके बचाव में गए उसके परिजनों को भी उसने जमकर पिटाई कर दी ।
युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि वो उस गांव में मोबाइल की बारीकियों का अच्छा जानकर था व इसी शक में सैनिक ने उसकी पिटाई कर दी। आज ये युवक अस्पताल में जीवन व मौत से जूझ रहा है घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक मोतिहारी जिले के रामगढ़वा थाना क्षेत्र के तिलकहनी गांव के निवासी विक्की कुमार को उनके गांव के ही एक व्यक्ति ने शक के आधार पर उनके दरवाजे पर ही लाठी फटा और लोहे के पाइप से मारकर अधमरा कर दिया बीचबचाव करने आये परिवार के लोगो के साथ भी मारपीट किया। विक्की को घायल अवस्था में मोतिहारी के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया जहाँ डॉक्टरों का कहना है कि स्थिति चिंताजनक बनी हुई है 72 घंटे के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

NEWS TODAY Update | न्यूज़ टुडे | Yuvaraj Media & Entertainment
Web News Portal: www.newstodayupdate.in | राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका | An Ideal Film Production
बस एक क्लिक कीजिए
देश दुनिया की खबर के साथ अपनी खबर भी देखिए
www.newstodayupdate.in
A Fast Growing Web News Portal
Contact For Advt. (Still & Video), News: +91 9471005272, 8210595830

रजि0 कार्यालय :
अष्ठाना निवास,
मठिया जिरात,
मोतिहारी-845401

समाचार एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें-
9471005272

Yuvaraj Media & Entertainment
बिहार विधानसभा चुनाव में डिजीटल प्रचार के लिए संपर्क करें:
Contact For Advt. (Still & Video), News: +91 9471005272, 8210595830